भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय
प्लॉट नं॰ 4-ए, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ - 160019
NORTHERN REGIONAL OFFICE
Plot No. 4-A, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh-160019
Telephone(s) : 0172-2650206, 2650290 Fax : 0172-2650259
E-mail : nro@bis.org.in / Website : www.bis.org.in

भारतीय मानक ब्यूरो

हरियाणा शाखा कार्यालय

संदर्भ – एच आर बी ओ / ई एन एफ / 2019-20

25.04.2019

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषण की दुकान पर छापा

दिनांक 24.04.2019 को भारतीय मानक ब्यूरो के चंडीगढ़ स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक श्री एन के कंसारा के मार्गदर्शन में हरियाणा शाखा कार्यालय के तीन अधिकारियों की टीम द्वारा खरखौदा,सोनीपत स्थित एक स्वर्ण आभूषण विक्रेता की दुकान पर छापा मारा गया। हरियाणा शाखा कार्यालय की प्रमुख श्रीमती रेणु गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों द्वारा गोपी राम सुनार नामक दुकान पर छापे के दौरान यह पाया गया कि वह बिना वैध बीआईएसलाइसेंस के हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण बेच रहा था जो बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 15 के विरुद्ध है। दुकान के मालिक के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी। ब्यूरो के उप महानिदेशक ने बताया कि उपभोक्ताओं को ऐसे विक्रेताओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है जो बिना वैध लाइसेंस के हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण बेचते हैं। कोई भी विक्रेता भारतीय मानक ब्यूरोसे वैध लाइसेंस लिए बिना हॉलमार्कलगे सामान को बेचने या प्रदर्शित या प्रस्तुत करने की पेशकश नहीं कर सकता है। हॉलमार्क लगे स्वर्ण आभूषणों से संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा अथवा शिकायत होनेपर उपभोक्ता भारतीय मानकब्यूरो के नज़दीकी शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

रेणु गुप्ता

(रेणु गुप्ता)
वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख

Scanned by CamScanner